न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**

आई.ए.एस.

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

कालुसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी थूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर — राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जसवंतपुरा

प्रकरण संख्या अपील 25/2018

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित/ श्री राजाराम सिन्धल, अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-25.07.2018

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम कालूसिंह पुत्र बलवंतसिंह कौम राजपूत निवासी थूर तहसील जसवंतपुरा में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को खसरा नंबर 669 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर सवंत 2074 में अतिकमणकारी घोषित कर नाजायज रूप मे कब्जा करने उक्त रिपोर्ट तहसीलदार जसवंतपुरा पर अपीलांट को नोटिस दिया गया। परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई के बिना सबूत पेश करने का अवसर दिये अपीलांट को अतिक्रमण घोषित कर अपीलांट को भौतिकरूप से बेदखली व 400/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने व 3 माह यानि 90 दिन का सिविल कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील पेश की है।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्व बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये एक तरफा पारित किये जाने से निरस्त योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का जो नोटिस दिया गया उसमे पश्चातवृति अतिकमी होने का कोई उल्लेख नही है जबकि काननून धारा 91 के नोटिस में पश्चातवृति अतिकमी होने का उल्लेख होना अनिवार्य है।मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.2000 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता बाबत अपीलांट को अतिकमी मानकर नोटिस दिया है जो सही नही है, क्योकि खसरा नंबर 669 के पास ही खसरा नंबर 671 व 670 अपीलांट व सह खातेदारो की खातेदारी भूमि स्थित है व खसरा नम्बर 669 के पास ही खसरा नंबर 667 व 666 की भूमि श्री अमरसिंह पुत्र चिमना वगैराह की खातेदारी स्थित है। खसरा नंबर 669 की भूमि पर किसका अतिकमण है। इस बाबत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 को प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि इस खसरा नंबर 669 की सही पैमाईश की जाकर किसका कितना अतिकमण मौके पर उक्त खसरा नंबर 669 में है। उसके बाद सभी अतिकमणकारियो के साथ अगर अपीलांट का भी अतिकमण साबित होता है तो अपीलांट **स्वंय** अतिकमण हटा देगा। परन्तु प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णायक व प्रभावी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई। राजस्थान सरकार द्वारा 1989 के कब्जे को रियायती दर पर नियमन करने के आदेश भी दिये हुये है। अपीलांट इसके अन्तर्गत पात्रता रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को गलतरूप से सजा व भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया गया है।अपीलांट काश्तकार व्यक्ति है तथा उसे उक्त फैसला की जानकारी दिनांक 01.06.2018 को हुई उसी दिन अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 04.06.2018 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपील तारीख ईल्म से व नकल प्राप्ति से अन्दर म्याद पेश है। अत: अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मौजा थूर के गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिकमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 400/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया व बेदखली के आदेश पारित किए गए साथ ही पश्चातवर्ती अतिकमी होने के कारण 3 माह का सिविल करावास की

Sd—

सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.20 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 400/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर 3 माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में पश्चात अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना जा सके। साथ ही सिविल कारावास का दंड पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्रकिया का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उपर वर्णित विवेचनानुसार समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुन: नियामानुसार विधी सम्मत आदेश पारित किया जावे।

सही

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 25.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर